

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्तभवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष 0141-2740837, फैक्स 0141-2742309, ईमेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-प.(ई)निप/लिंक नंबर-9830/अलेसे-गा/2037
कार्यालय आदेश

दिनांक:-04-03-2024

निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-गा को उनके आवेदन के अनुसरण में निम्नानुसार अग्रिम अध्ययन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

| क्र. स. | लिंक नंबर | नाम सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-गा | वर्तमान पदस्थापन कार्यालय | नाम परीक्षा |
|---------|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | 9830 | श्री कानाराम | अधिशासी अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग खण्ड रत्नगढ़ | एम.कॉम अन्तिम वर्ष (व्यवसाय प्रबंध) वर्ष-2023-24 (स्वांचपाटी) एम.जी.एस यू.बी.कानेर |

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजरथान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्यीन होगी : -

- शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- अपका पदरथापन मुख्यालय से परिवर्तित/रथानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
- प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।
- विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यदाही की जायेगी।
- उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी रथान विशेष पर पदरथापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र रथानान्तरण किया जा सकता है।
- अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- अध्ययन वर्ष में उपरिथित का प्रतिशत कम होने के लिये रारकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
- परीक्षा की दैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निररत वीजा सकती है।

अधिकारी
(मूर्ख भाष्टुर)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-प.(ई)निप/लिंक नंबर-9830/अलेसे-गा/2037

दिनांक - 04-03-2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- अधिशासी अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग खण्ड रत्नगढ़।
- निजी सचिव, निदेशक भौदेश।
- उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेदसाईट पर अवलोड करने हेतु।
- श्री कानाराम, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-गा, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग खण्ड रत्नगढ़।


(के.जी.गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)